



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फ़ैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फ़ैक्स

क्र०- छ०ग०/जांजगीर-चांपा/चू०प०-०४/रायपुर
प्रति,

38 छ०ग० 06001

दिनांक :- 26/07/2018

श्री सुकेतु शाह, नॉमिनेटेड ऑनर
सर्वश्री नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
(पूर्व में लाफार्ज इंडिया लिमिटेड)
इक्वीनॉक्स बिजनेस पार्क (पेनिनसुला टेक्नो पार्क) टावर -3, ईस्ट विंग,
चौथा फ्लोर, ब्रान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, एल० बी० एस० मार्ग,
कुर्ला वेस्ट, मुम्बई (महाराष्ट्र)- 400070
फोन: 022 61306511

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चांपा जिले में स्थित आपकी किरारी चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 167.048 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 19/07/2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री रीतेश कैमल, खान प्रमुख एवं श्री भजन सिंह रावत, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11 (1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Modified Mining Plan vide letter no. Janjgir-Champa/LST/MPLN-474/NGP/21-RPR Raipur dated 19/08/2016 for the period of 2016-17 to 2020-21: Stacking of Waste and Top Soil: Waste rock and Top Soil have been stacked in the north-eastern side along the lease boundary in between UTM Co-ordinates N2429200-N2429800 and E650900-E651400 without any proposal.
Rule 37(2)	The existing protective measures taken around waste dump are insufficient and it has been found that the waste material was escaping and washing away from the dumps and was contaminating the nearby area. A proper protective measure should be taken to prevent the escape of the material from the existing waste dumps.
Rule 45 (7)	Monthly Returns; June 2018: Part II (Production, Dispatches And Stock): Transportation cost of Mineral/Ore from Mine head up to the Captive Plant may be excluded from the written Ex-Mine Price (Rs 578.01). Annual Returns; F.Y. 2017-18: (i) Part - VI (Production, Dispatches And Stock): Cost of Production and the Ex-Mine Price of Mineral/Ore should not be different from each other. (ii) Part VII: Cost of Production: (i) Direct Cost; (b) Mining: Cost of the Mineral/Ore transportation from mine head to captive plant may be deducted from Rs. 525.88/-. Hence the cost of mineral production may be revised.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

कृ०पृ०प०..2.

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. श्री संजय कुमार त्यागी, वाईस प्रेसीडेंट एवं खान ऐजेंट, सर्वश्री नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में लाफार्ज इंडिया लिमिटेड), पोस्ट- गोपाल नगर, तहसील- अकलतरा, जिला- जांजगीर - चांपा, पिन कोड- 495 663 (छत्तीसगढ़)।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर